सेवा में,

माननीय राजस्व मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषयः—लेखपाल संवर्ग की वेतन विसंगति, वेतन उच्चीकरण, शैक्षिक योग्यता, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति आदि समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको विदित ही है कि राजस्व प्रशासन जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी गॉवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक, सामाजिक ढ़ॉचा पूरी तरह कृषि पर आधारित है। गॉव की सुख समृद्धि उनकी खुशहाली एवं निश्चिन्तता इस बात पर निर्भर करती है कि राजस्व प्रशासन उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के साथ—साथ किस कुशलता के साथ असामाजिक तत्वों , साम्प्रदायिक ताकतों, दबंगों, अन्याय आदि से उनकी जान माल की कितनी सुरक्षा करता है। इसीलिये राजस्व प्रशासन, राज्य प्रशासन का मेरूदण्ड़ कहा जाता है और राजस्व प्रशासन की अंतिम कड़ी राजस्व लेखपाल है। कार्य एवं महत्व की दृष्टि से लेखपाल राजस्व प्रशासन की रीढ़ है। लेखपाल शासन की समस्त नीतियों/योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुॅचाने में महती भूमिका निभाता है। शासन/प्रशासन से दिन प्रतिदिन निर्गत होने वाले शासनादेशों/आदेशों के कियान्वयन के लिये तैनाती क्षेत्र एवं तहसील/जनपद मुख्यालय के बीच प्रतिदिन अपने निजी व्यय पर भागदौड़ करता है। शासन/प्रशासन के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिखित/मौखिक निर्देशों का पालन करते हुये अनुशासित सेवक की भांति अपने पदीय/शासकीय/सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। फिर भी

लेखपाल संवर्ग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1– ए0सी0पी0 विसंगति

महोदय, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रोन्नति के अवसरों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कर्मचारियों को वास्तविक प्रोन्नति ना मिलने पर, एक निश्चित सेवा अवधि पर प्रोन्नति के पद का वेतनमान देने की प्रोन्नत वेतनमान व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जिन संवर्गों में प्रोन्नति के पद उपलब्ध नहीं थे, उन्हे प्रोन्नत वेतनमान का लाभ अनुमन्य होने में विसंगति का सामना करना पड़ रहा था जिसके तात्कालिक समाधान हेतु 2001 में शासनादेश निर्गत करते हुये प्रोन्नत वेतनमान के रूप में विशिष्ट वेतनमान जिन्हे नान फंक्शनल वेतनमान कहा गया, की सुविधा प्रदान की गयी थी। छठे वेतन आयोग में इस विसंगति का निवारण करते हुये प्रोन्नत वेतनमान व्यवस्था के स्थान पर नयी ए0सी0पी0 व्यवस्था लायी गयी, किन्तु इससे कुछ ऐसे संवर्गों, जिनमें प्रोन्नति के पद हैं, उनमें पूर्व प्रोन्नत वेतनमान की तुलना में विसंगति उत्पन्न हो गयी। इससे लेखपाल संवर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है क्योंकि लेखपाल संवर्ग में प्रोन्नति के पद तो हैं किन्तु वास्तविक रूप से प्रोन्नति के अवसर नगण्य हैं। लेखपाल पद पर भर्ती होकर अधिकांश लेखपाल इसी पद से सेवानिवृत हो जाते हैं। वर्तमान में निर्गत प्रोन्नति सूची 20 जनवरी 2016 से स्पष्ट है कि 36 से 40 वर्ष (1975 से 1980 तक नियुक्त) की सेवा के बाद प्रथम पदोन्नति प्राप्त हुई है। जिन संवर्गों में पुरानी प्रोन्नत वेतनमान व्यवस्था से विसंगतियॉ उत्पन्न हुई थी , उनकी विसंगति नई ए0 सी0 पी0 व्यवस्था लाकर दूर कर दी गई और जिन संवर्गों में नई ए0 सी0 पी0 व्यवस्था से विसंगतियॉ उत्पन्न हुईं उनमें से अधिकांश की विसंगतियॉ विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से दूर कर दी गईं। कुछ संवर्गों के वेतनमान उच्चीकृत कर दिये गये अथवा उनकी वास्तविक प्रोन्नति, प्रथम ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की अवधि से पूर्व ही हो जाती है जिससे उन्हे ए0 सी0 पी0 विसंगति का सामना नहीं करना पडता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल को वास्तविक प्रोन्नति का अवसर मात्र 7 प्रतिशत लेखपालों को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृति के सन्निकट प्राप्त होता है। इस प्रकार लेखपाल संवर्ग को अन्य संवर्गों की तुलना में ए0 सी0 पी0 विसंगति का सामना अधिक करना पड रहा है। अन्य संवर्गों में पदोन्नति सामान्यतः 2 से 10 वर्ष की सेवा पर हो जाती है और उच्च पद अधिकांशतः शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं। अन्य संवर्गों में प्रोन्नति की स्थिति का विवरण तालिका सं0 1 में दर्शाया गया है –

तालिका सं0 1

क्रमांक	पदनाम	प्रोन्नत पद	सामान्यतः प्रोन्नति में लगने वाला समय	विवरण
1	प्रा0 सहायक अध्यापक	प्रा0 प्रधानाध्यपक	3 से 6 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
2	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	2 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
3	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	2 से 08 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
4	प्रधान सहायक	प्रशासनिक अधिकारी	2 से 08 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
5	प्रशासनिक अधिकारी	वरि0 प्रशासनिक अधिकारी	2 से 08 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
6	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2 से 05 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है
7	लेखपाल	राजस्व निरीक्षक	35 से 40 वर्ष	लेखपाल से 55 प्रतिशत प्रोन्नति के पद भरे जाते हैं।
8	राजस्व निरीक्षक	नायब तहसीलदार	5 से 15 वर्ष	प्रोन्नत पद 50 प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
9	नायब तहसीलदार	तहसीलदार	8 से 15 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
10	तहसीलदार	उपजिलाधिकारी	08 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद 50 प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
11	उपजिलाधिकारी	अपर जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट	08 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
12	अपर जिलाधिकारी	अपर आयुक्त / सी0 डी0 ओ0	08 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
13	जिलाधिकारी	मण्डल आयुक्त	08 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
14	मण्डल आयुक्त	सचिव शासन	05 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
15	सचिव	प्रमुख सचिव	05 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।
16	प्रमुख सचिव	मुख्य सचिव	05 से 10 वर्ष	प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न संवर्गों की ए0सी0पी0 विसंगतियॉ विभिन्न शासनादेशों द्वारा संशोधित की हैं, जिनका विवरण तालिका सं0 2 में दर्शाया गया है–

तालिका सं0 2

क्रमांक	पदनाम	संशोधन से पूर्व ग्रेड पे	इग्नोर ग्रेड पे	प्रथम ए0सी0पी0 पर देय संशोधित ग्रेड पे	शासनादेश संख्या/ दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	समूह घ कर्मचारी	1900	2000	2400	वे0 आ–2–2014/दस–62 (एम)2008टी0सी0/ 22 दिसम्बर 2011	वास्तविक प्रोन्नति होने पर मिलने वाले ग्रेड पे 2000 से अधिक ग्रेड पे
2	अवर अभियन्ता	4200	4600	4800	दिनॉक 31 मई 2011	
3	फार्मासिस्ट/ ए0एन0एम0	2800	4200	4600	वे0आ–2–773/दस–62(एम) 2008 दिनॉक 05.11.2014	
4	कनिष्ठ सहायक	2000	2400	2800	2576/दस–2015–350(3)/ 2015 19 अगस्त 2015	
5	लेखपाल	2000	–	2400		समूह घ कर्मचारी के बराबर

:–<u>एक ही संवर्ग में समान पद पर दो वेतनमान</u>:–

महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जून 2006 द्वारा लेखपाल को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन 5200–20200 ग्रेड़ पे 2800) दिया गया था, किन्तु 1 दिसम्बर 2008 से लागू की गयी नई ए0सी0पी0 व्यवस्था में विसंगति होने के कारण दिनांक 30.11.1994 के बाद नियुक्त लेखपाल इस सुविधा से वंचित हो गये और उन्हे

प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड़ पे 2400/— दिया जा रहा है और 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 2800/— दिया जा रहा है। इसके विपरीत दिनांक 30.11.1994 से पूर्व नियुक्त लेखपाल 16 वर्ष की ही समान सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 4200/— प्राप्त कर रहे हैं तथा तृतीय ए0 सी0 पी0 के रूप में ग्रेड पे 4600 प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान विसंगति के कारण दिनॉक 30. 11.1994 के बाद नियुक्त लेखपाल अपने पूरे सेवाकाल में कभी भी ग्रेड पे 4600 नहीं पा सकेंगे और ग्रेड पे 4200 से ही सेवा निवृत हो जायेंगे। इस प्रकार एक ही संवर्ग में दो उपवर्ग बन गये हैं जिससे 30.11.1994 के बाद नियुक्त लेखपालों को समान पद व कार्य करने पर भी संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 14) का हनन हो रहा है। जिससे लेखपाल संवर्ग में भारी क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

अतः लेखपाल संवर्ग की ए0सी0पी0 विसंगति को प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 2400 को इग्नोर करते हुए ग्रेड पे 2800 दिये जाने हेतु शीघ्र षासनादेष निर्गत करने की कृपा करें।

2— वेतनमान उच्चीकरण

महोदय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान 4500—125—7000 (पुनरीक्षित ग्रेड पे 2800/—) किये जाने की मॉग लम्बे समय से की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल के दायित्व बढ़ाये जाते रहे हैं किन्तु प्रारम्भिक वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। केवल वेतन आयोग की समय—समय पर संस्तुतियों के आधार पर जो समतुल्य स्लैब होते गये वे ही लेखपाल संवर्ग को मिलते रहे। कभी अन्य संवर्गो की भॉति विशिष्ट रूप से प्रारम्भिक वेतनमान उच्चीकृत नहीं किया गया है जबकि लेखपाल कार्य के महत्व, प्रकृति एवं परिस्थिति की तुलना में अन्य संवर्गो से विशिष्ट प्रकृति का पद है। माननीय राजस्व परिषद के पत्र संख्या 1455/4/36ए/91 दिनांक जून 5 1993 से स्पष्ट है कि लेखपाल पद तकनीकी श्रेणी का है, और अन्य संवर्गो में तकनीकी श्रेणी के वेतनमान ग्रेड पे 4200 है। वर्ष 2010 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लेखपाल पद की सेवा को विशिष्ट सेवा माना गया है। लेखपाल संवर्ग की विशिष्टता/अन्य संवर्गो से तुलनात्मक विवरण तालिका सं0 3 में दर्शाया गया हैः—

तालिका सं0 3

क्रमांक	पदनाम	प्रारम्भिक ग्रेड पे	कार्यावधि		प्रोन्नति की अवधि	शैक्षिक योग्यता
			कार्य के घंटे	कार्य दिवस		
1	2	3	4	5	6	7
1	लेखपाल	2000	24	365	35 से 40 वर्ष की सेवा पर	इण्टर व एकवर्षीय प्रशिक्षण
2	कनिष्ठ सहायक	2000	7	लगभग 245 कार्यदिवस	2 से 10 वर्ष में प्रोन्नति	इण्टर
3	सहायक अध्यापक (प्राथमिक)	4200	6	लगभग 220 कार्य दिवस	3–6 वर्ष	स्नातक व बी0टी0सी0 प्रशिक्षण
4	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2800	8	लगभग 245 कार्यदिवस		इण्टर व एक वर्षीय डिप्लोमा
5	वन दरोगा	2800	8	लगभग 245 कार्यदिवस		इण्टर

:–लेखपाल संवर्ग के कार्य–:

विभिन्न प्रकार के राजनैतिक, एवं भूमाफिया/दबंगों के दबाव एवं बिना किसी सरकारी आवास/कार्यालय के क्षेत्र में रहकर चैन सर्वे, माप, नक्शा ट्रेसिंग, सीमॉकन, मैप डिजिटलाइजेशन जैसे तकनीकी श्रेणी के (अवर अभियंता/ ट्रेसर/ड्राफटमैन के समान) कार्य करता है और नई प्रख्यापित राजस्व सहिंता 2006 में लेखपालों पर कार्यभार और अधिक बढ गया है। लेखपाल अपने पदीय दायित्वों के साथ–साथ अन्य विभागों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य भी बिना किसी पारिश्रमिक के करता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. समाज कल्याण विभागः–विकलांग/वृद्धा/विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच एवं आख्या।

2. शिक्षाः— मिड़ डे मील, छात्रवृत्ति एवं विद्यालय भवन में सुविधाओं की जांच, नकल रोकथाम, लैपटाप व बेरोजगारी भत्ता वितरण आदि कार्यों को सम्पन्न कराना।
3. पर्यावरणः— भठ्ठा आदि में पर्यावरण मानक, नदी, हैण्ड़पम्प आदि में जल प्रदूषण की जांच/सूचना।
4. खननः— रेत, मिट्टी व अन्य खनिज के अवैध खनन की रोकथाम करना/ सूचना देना।
5. जनगणनाः— प्रगणकों का पर्यवेक्षण व उनके द्वारा भरे गये प्रपत्रों की जांच व संकलन।
6. निर्वाचनः— मतदाता सूची के सम्बन्ध में परिवर्धन, अपमार्जन व संशोधन सूचियों की जांच व फीड़िग कराना, ई0वी0एम की सेटिंग व सीलिंग व अन्य मतदाता सामग्री का प्रबन्धन, वितरण व मतदान समाप्त होने के उपरान्त जमा कराना, और मतदान प्रबन्धन अधिकारी के रूप में मतदान के समय अवैतनिक स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना और मतगणना समाप्ति तक विभिन्न कार्य करना।
7. स्वास्थ्य :—मनुष्य एवं पशुओं में होने वाली बीमारी/महामारी/जहरीली शराब बिक्री एवं सेवन आदि की सूचना एवं पीड़ितों की सहायता आदि।
8. कृषि विभाग :— कृषि फसलों के भाव, अतिवृष्टि/ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा से फसलों की क्षति का आंकलन एवं राहत वितरण आदि।
9. पुलिसः— मेला, चुनाव, साम्प्रदायिक तनाव/दंगा, हत्या, सार्वजनिक/राजनैतिक सभाओं आदि में शान्ति व्यवस्था बनाना।
10. भूमि अध्याप्तिः— अर्जन हेतु अभिलेख तैयार करना, अर्जन हेतु काश्तकारों की सहमति बनाना, एवं हस्तांतरण अभिलेख निष्पादित कराना, प्रतिकर भुगतान करवाना तथा अर्जन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कराना आदि।,
11. बीमा कम्पनीः— आम आदमी व कृषक दुर्घटना बीमा में एजेण्ट के रूप में कार्य।
12. ई डिस्ट्रिक योजनाः— ई डिस्ट्रिक योजना के तहत इण्टरनेट पर अपने निजी व्यय पर आय जाति एवं निवास , उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों की जॉचोंपरान्त आख्या अंकित करना।
13. निबन्धन :— विक्रय पत्रों आदि के सम्बन्ध में स्टाम्प कमी की जांच कर आख्या देना।
14. वी0आई0पी0 ड्यूटीः— दिन प्रतिदिन विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं माननीयों की वी0आई0पी0 व्यवस्था अपने निजी व्यय पर करता है।

इसीलिये शासन द्वारा वर्ष 2010 में लेखपाल सेवा को विशिष्ट सेवा माना गया है। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संवर्गों का वेतनमान उच्चीकृत किया गया है किन्तु लेखपाल संवर्ग की अन्य संवर्गों की तुलना में सदैव उपेक्षा की गयी है। जिसका संक्षिप्त विवरण तालिका सं0 4 में हैः—

तालिका सं0 4

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संवर्गो के वेतनमान उच्चीकरण

क्रमाक	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व प्राप्त ग्रेड पे	संशोधित / उच्चीकृत ग्रेड पे	शासनादेश संख्या / दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	लिपिक संवर्ग	कनिष्ठ लिपिक	1900	2000	928 / 1–4– 13–56बी–4 / 2010 दिनॉक 31 मई 2013
2	"	वरिष्ठ सहायक	2400	2800	"
3	"	प्रधान सहायक	2800	4200	"
4	"	प्रशासनिक अधिकारी	4200	4600	"
5	चतुर्थ श्रेणी	अनुसेवक	1300	1900	08 सितम्बर 2010 के शासनादेश अनुसार ग्रेड पे 1300 से 1800 एवं दिनांक 14.3.2016 की कैबिनेट निर्णय के अनुसार पुनः उच्चीकृत करके ग्रेड पे 1800 से 1900 किया गया।
6	अभियन्त्रण विभाग	अवर अभियन्ता	2800	4200	
7	सचिवालय व अन्य	समीक्षा अधिकारी	4600	4800	
8	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2000	2800	2299 / 3–10–09–डब्लू–55 / 08 दिनॉक 23.10.2013
9	वन विभाग	वन विद	2400	2800	643 / चौदह–3 –11–300(53) / 2010 दिनॉक 12 अप्रैल 2011
10	वन विभाग	लागिंग सहायक	1900	2400	2 / 2015 / 335 / चौदह –3–15 –60 / 1992 दिनॉक 06.11.2015

11	शिक्षा विभाग	खण्ड शिक्षा अधिकारी	2800	7600	
12	गन्ना विभाग	गन्ना पर्यवेक्षक	2000	2400	वे0आ–2–1989 / दस54(एम)2008टी0सी0 दिनॉक 22.11.2011
13	राजस्व विभाग	रजिस्ट्रार कानूनगो	2400	2800	
14	"	भूलेख लिपिक	2000	2800	746 / 1–9–2010–22 (10) / 8दिनॉक 3.05.10
15	होम गार्डस	कनिष्ठ प्रशिक्षक	2400	2800	47 / 2015 / वे0आ–2–696 / दस –8(मु0स0स0) 2008टी0सी0 दिनॉक 25 अगस्त 2015
16	स्वास्थ्य विभाग	सहायक मलेरिया अधिकारी	2800	4200	वे0आ–2–694 / दस–2014–8(मु0स0 स0)2011 दिनॉक 24 सितम्बर2014
17	स्वास्थ्य विभाग	नेत्र परिक्षण अधिकारी	4600	4800	वे0आ–2–696 / दस–2014–8(मु0स0 स0)2011 दिनॉक 24.09.2014

:–लेखपाल संवर्ग की विभिन्न प्रदेशों में वेतनमान / शैक्षिक योग्यता / पदनाम की स्थिति–:

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व प्रशासन के कार्य को सुचारू रूप एवं तीव्रगति से गुणवत्ता पूर्ण संचालित करने के उददेशय से हरियाणा राज्य के पटवार क्षेत्रों एवं उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन कराया गया। हरियाणा राज्य में अपेक्षकृत छोटे पटवार क्षेत्र पाये गये, जिससे उ0 प्र0 में भी लेखपाल क्षेत्रों को छोटा करने की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार द्वारा 13500 लेखपाल क्षेत्रों की वृद्धि के पश्चात भी उ0 प्र0 में लेखपाल पर अधिक राजस्व ग्रामों/ क्षेत्रफल व जनसंख्या पर कार्यभार है, जबकि वेतनमान हरियाणा राज्य की अपेक्षा कम है। अन्य पडोसी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के लेखपाल की स्थिति तालिका न0 5 में स्पष्ट है–

तालिका सं0 5

क्रमांक	प्रदेश का नाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता	पदनाम
1	उत्तराखण्ड	वेतन बैण्ड 5200–20200	स्नातक	उप राजस्व

		ग्रेड पे 2800		निरीक्षक
2	हरियाणा	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2400	स्नातक	पटवारी
3	राजस्थान	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2400	इण्टर	पटवारी
4	मध्य प्रदेश	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2400	इण्टर	पटवारी
5	हिमाचल प्रदेश	वेतन बैण्ड 10300–34800 ग्रेड पे 3200	स्नातक	पटवारी
6	पंजाब	वेतन बैण्ड 10300–34800 ग्रेड पे 3200	स्नातक	पटवारी
7	दिल्ली	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2000	दसवीं	पटवारी
8	उत्तर प्रदेश	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2000	इण्टर	लेखपाल

:–उत्तर प्रदेश में लेखपाल के वेतनमान की स्थिति–:

उत्तर प्रदेश में लेखपाल जहाँ प्रथम वेतन आयोग के बाद अन्य संवर्गो से अधिक वेतन प्राप्त करता था, आज ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के वेतनमान के निम्नतम स्तर पर है। अन्य संवर्गो की भॉति वेतनमान में कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं की गयी है। माननीय राजस्व परिषद द्वारा 6 अक्टूबर 2008 को लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान 3050–4590 से उच्चीकृत करके 4500–7000 (वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800) करने की संस्तुति की थी। उक्त संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड में लेखपाल का प्रारम्भिक ग्रेड पे 2800 कर दिया गया किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके साथ ही यह अवगत कराना है कि 2005 से पूर्व लेखपाल को नकल खतौनी के रूप मे मिलने वाला पारिश्रमिक वर्तमान समय में राज्य सरकार के प्रयोक्ता प्रभार में अरबों रूपये के रूप में जमा है। जिससे सीधे–सीधे लेखपाल की आर्थिक क्षति हुई है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कार्य, कार्य के घंटे एवं कार्य की परिस्थिति/महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लेखपाल सेवा को तकनीकी एवं विशिष्ट सेवा मानते हुए मा0 राजस्व परिषद की संस्तुति दिनॉक 06 अक्टूबर 2008 के अनुसार लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान वेतनबैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 किया जाये।

3– अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं पदनाम व नियुक्ति प्राधिकारी परिवर्तन–

महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और राजस्व लेखपाल का पद राज्य प्रशासन का ऐसा पद है जो शासन की नीतियों/ योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का ही काम नहीं करता अपितु विभिन्न समस्याओं का नियमों का पालन करते हुये अपने विवेक, निर्णय क्षमता, तथा आमजन (अशिक्षित से लेकर उच्च शिक्षित/ उच्च पदस्थ व्यक्ति) को संतुष्ट करने की असाधारण क्षमता का उपयोग करते हुये स्थल पर ही तत्काल समाधान कराता है। निर्णय की उच्च गुणवत्ता के लिये उच्च शिक्षा का होना आवश्यक है। विभिन्न विषयों की अभिलेखीय व स्थलीय जांच (**Inspection**), आख्या (**Reporting**) एवं निर्णय (**Decision**) करने वाले कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं पद नाम राजस्व उपनिरीक्षक अथवा ग्राम राजस्व अधिकारी व जिलाधिकारी को नियुक्ति अधिकारी किया जाना (राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के अनुसार)पद के महत्व एवं उपयोगिता के अनुरूप होगा।

महोदय, विकास विभाग एवं पंचायत विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मी का नाम ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी है और उत्तराखण्ड राज्य में लेखपाल का नाम उपराजस्व निरीक्षक तथा शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी गयी है। प्रोन्नत पद शतप्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाता है। कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, संग्रह अमीन आदि के नियुक्ति अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं।

महोदय, विगत 15 वर्षो में लेखपाल पद पर हुयी सीधी भर्ती से नियुक्त हुये लेखपालों की योग्यता पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होगा कि लगभग शत प्रतिशत लेखपाल स्नातक अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। तब लेखपाल पद हेतु अनिवार्य योग्यता इण्टरमीडियट का कोई औचित्य नहीं रह गया है। विभिन्न राज्यों में लेखपाल/पटवारी पद की शैक्षिक योग्यता स्नातक की जा चुकी है जो तालिका सं0 5 में वर्णित है। लेखपालों की शैक्षिक योग्यता को स्नातक किया जाना सेवा नियमावली में औपचारिक संशोधन मात्र ही होगा। इस सम्बन्ध में 22 नवम्बर 2012 को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अड़तीसवें सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधन में तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी ने सम्मेलन में उपस्थित माननीय प्रमुख सचिव राजस्व श्री किशन सिंह अटौरिया जी को योग्यता स्नातक व नियुक्ति अधिकारी उपजिलाधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारी किये जाने का निर्देश दिया था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व परिषद द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.01.2011 अनुस्मारक 27. 02.2013, 07.06.2013, 08.11.2013 व 05.12.2013 द्वारा शासन स्तर से निर्णय लेकर

अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी। जिसके संदर्भ में शासन के पत्रांक 1137/1–9/2013–28(नियमावली)/2005 टी0सी0 राजस्व अनुभाग 9 दिनॉक 24 सितम्बर 2014 के द्वारा मा0 राजस्व परिषद से शैक्षिक योग्यता बढाने एवं नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी को बनाये जाने के सम्बन्ध में सारगर्भित प्रस्ताव भी मांगा गया था।

अतः आमजन (अशिक्षित से लेकर उच्च शिक्षित/ उच्च पदस्थ व्यक्ति) को संतुष्ट करने की असाधारण क्षमता का उपयोग करते हुये स्थल पर ही तत्काल समाधान करने, निर्णय की उच्च गुणवत्ता एवं अभिलेखीय व स्थलीय जांच (**Inspection**), आख्या (**Reporting**) एवं निर्णय (**Decision**) की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये लेखपाल का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक अथवा ग्राम राजस्व अधिकारी और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक करने व नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी को बनाये जाने की कृपा करें जिसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ना है।

4– मण्डलीय कैडर व स्थानान्तरण नीति में संशोधन–

महोदय, लेखपाल एक अल्प वेतनभोगी ग्राम स्तरीय तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है। जिसमें अधिकांश लेखपालों पर संयुक्त परिवार का भार है। हजारों की संख्या में लेखपाल अपने परिवार के निकट तैनाती हेतु मा0 मण्डलायुक्त, मा0 राजस्व परिषद, मा0 राजस्व मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रार्थनापत्र देते रहे हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने लेखपालों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करने हेतु सेवा नियमावली में संशोधन कराया है, किन्तु उक्त संशोधन वास्तविक समस्या का समाधान न होकर मात्र लेखपाल के उत्पीड़न का हथियार बन गया है। जो लेखपाल सहारनपुर से आजमगढ या इटावा से नोएडा स्थानान्तरण कराना चाहेगा है, स्थानान्तरण नीति में वर्तमान संशोधन के बावजूद महोदय चाह कर भी उसका स्थानान्तरण नहीं कर सकेंगे।

महोदय, यह भी अवगत कराना है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी , लिपिक , प्राथमिक शिक्षक, ए0एन0एम0, संग्रह अमीनों आदि अन्य समकक्ष ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः जनपद के भीतर ही किया जाता है और अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण कर्मचारियों की सुविधा हेतु केवल निजी अनुरोध पर किये जाने की व्यवस्था है। समकक्ष कर्मचारियों की भॉति लेखपालों का जनपद स्तरीय कैडर प्रशासनिक व जनहित में उत्तम व्यवस्था है। उपरोक्त के दृष्टिगत केवल

लेखपाल का कैडर मण्डल स्तरीय किये जाने से कार्य गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और यात्रा भत्ता के रूप में प्रशासनिक व्यय भी अनावश्यक रूप से बढेगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर अनेक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें प्रशासन की दृष्टि से लेखपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। अन्य समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में लेखपाल आम जनता के अधिक निकट सहयोगी के रूप में कार्य करता है। जनभागीदारी अधिक होने के कारण कभी कभी आम जनता व जनप्रतिनिधियों की अपेक्षायें बढ जाती हैं तथा लेखपाल कतिपय नियमों व परिस्थितियों के कारण उनकी उचित/अनुचित अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। जिससे कभी कभी संवर्ग की नकारात्मक छवि व्यक्त हो जाती है। जबकि वास्तविकता यह है कि लेखपाल संवर्ग हमेशा शासन की नीतियों तथा सरकार की प्रत्येक जनहित की योजनाओं को क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है और योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहॅचाने में सहयोग करता है। जनपद में ही कार्यरत रहने पर लेखपाल अपने सरकारी दायित्वों के साथ–साथ पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन तनावमुक्त होकर करने में समर्थ रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर प्रशासनिक, जनहित एवं कर्मचारी हित में विचार करते हुए लेखपाल सेवा नियमावली में स्थानान्तरण व्यवस्था में नियम 24(1) में संशोधन करते हुये "मण्डलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानान्तरण मण्डल के भीतर कर सकेगा।" के स्थान पर "किसी लेखपाल के निजी अनुरोध पर मण्डलायुक्त उसका स्थानान्तरण मण्डल के भीतर और राजस्व परिषद मण्डल के बाहर कर सकेगा।" प्रतिस्थापित किया जाये और नियम 4(3) में लेखपाल का संवर्ग मण्डल के स्थान पर पूर्ववत जिला पुनः स्थापित किया जाये।

5– पदोन्नति

महोदय, प्रोन्नति से जहॉ कर्मचारी का सामाजिक, आर्थिक व वैचारिक स्तर बढता है वहीं कर्मचारियों में कार्य के प्रति रूचि, नई उर्जा का संचार, उमंग, उत्साह व ताजगी में भी वृद्धि होती है। जिससे कार्य के परिणाम, परिमाण व गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए कर्मचारी को एक निर्धारित सेवा अवधि का अवसर उपलब्ध कराना नियोक्ता/ सरकार का दायित्व है।

:–राजस्व निरीक्षक के पदों पर लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति–:

महोदय, वर्तमान सरकार ने सभी संवर्गों मे प्रोन्नति के नये अवसर सृजित किये हैं और जल्दी जल्दी डी0 पी0 सी0 की बैठक कर प्रमोशन किये हैं। जबकि अन्य संवर्गों में 2 से 10 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति हो जाती है जिसका विवरण तालिका सं0 1 में उल्लिखित है। लेखपाल संवर्ग में तीन वर्ष में मात्र एक डी0 पी0 सी0 की बैठक हुई है जिसके क्रम में 20 जनवरी 2016 को निर्गत हुई प्रोन्नति सूची भी त्रुटिपूर्ण है। इससे राजस्व निरीक्षक के न तो पूर्ण पद भरे गये हैं और जो नाम शामिल किये गये है उनमें कुछ सेवा निवृत/सेवा निवृति के निकट व मृतक लेखपालों के नाम शामिल हैं तथा प्रोन्नति हेतु पात्र मौलिक नियुक्ति/ नियुक्ति तिथि 17.08.1980 तक के कुछ लेखपालों के नाम शामिल होने से छूट गये हैं जबकि वर्ष 1984 से 1989 में प्रशिक्षित लेखपालों के नाम शामिल कर लिये गये हैं जोकि प्रोन्नति सूची और प्रदेश स्तरीय कोटिक्रम सूची में अंकित नियुक्ति तिथि/ प्रशिक्षिण वर्ष से स्पष्ट है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में लेखपालों के प्रोन्नति के अवसर नगण्य हैं मात्र 7 प्रतिशत लेखपालों को प्रोन्नति के अवसर मिलता है और वह भी 35–40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृति के सन्निकट प्राप्त होता है जबकि अन्य संवर्गों में 2 से 10 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति हो जाती है जिसका विवरण तालिका सं0 1 में उल्लिखित है।

महोदय, लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति के नये अवसर सृजित करने के बजाय पहले से उपलब्ध अवसर कम कर दिये गये हैं। सीधी भर्ती के लिए पूर्व में 327 पद आरक्षित थे जो 2011 में समाप्त कर दिये गये थे किन्तु राजस्व निरीक्षक के 617 पदों पर भर्ती कर ली गई है, जबकि राजस्व निरीक्षकों के चयन वर्ष 2015 में रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होनी चाहिये थी। 17 जनवरी 2014 से पूर्व रजिस्ट्रार कानूनगों के 1082 व भूलेख लिपिक के 65 कुल 1147 पदों पर पूर्व में शत प्रतिशत लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति होती थी किन्तु 17 जनवरी 2014 में प्रख्यापित राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली में इन पदों में से 18 प्रतिशत संग्रह अमीन, 2 प्रतिशत सर्वे एवं भूमि अध्याप्ति अमीन, तथा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से करने का प्रावधान कर दिया गया है। वर्ष 2011 में प्राख्यापित राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली में राजस्व निरीक्षक के 1326 पदों के 94 प्रतिशत यानि 1246 पद तथा रजि0 का0 व भूलेख लिपिक के 1093 पद शत प्रतिशत लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2011 की व्यवस्था के अनुसार 27237 लेखपाल पदों के सापेक्ष 1246+1147 कुल 2393 प्रोन्नति के अवसर लेखपालों को उपलब्ध थे जबकि 17 जनवरी 2014 को प्रख्यापित राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली के अनुसार राजस्व निरीक्षक के कुल 2473 के 55 प्रतिशत यानि 1360 प्रोन्नति के अवसर मात्र रह गये हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक के 1308 नव सृजित पदों में से 55 प्रतिशत

यानि 719 पदोन्नति के अवसर और बढते हैं तथा लेखपालों के 5000 पद नये सृजित किये जाने के उपरान्त लेखपालों के कुल 32237 पदों के सापेक्ष प्रोन्नति के अवसर 1360+719 कुल 2079 मिलेंगे। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक के 1308 पद बढने के बावजूद प्रोन्नति के अवसर कम हुए हैं।

महोदय, राजस्व प्रशासन में राजस्व निरीक्षक के महत्व एवं क्षेत्र में कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्मा आयोग की 1994 में प्रस्तुत रिपोर्ट में क्षेत्र में पर्यवेक्षण हेतु 10 लेखपालों के सापेक्ष 1 राजस्व निरीक्षक के पद सृजित करने की सिफारिश की गई थी और कार्यालय हेतु सहा0 रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक के पद अलग से थे। वर्तमान सरकार द्वारा राजस्व निरीक्षक के 1308 पदों का सृजन 10 लेखपालों के सापेक्ष 1 राजस्व निरीक्षक के अनुपात को पूरा करने के लिए किया गया है। सरकार द्वारा लेखपालों के 5000 पद अतिरिक्त सृजित किये गये हैं, जिसके बाद लेखपालों के कुल 32237 पदों के सापेक्ष क्षेत्र में पर्यवेक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक के 3224 पदों की आवश्यकता है। इस प्रकार अब तक सृजित राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय) के कुल 2634 के अतिरिक्त 590 राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय) के नये पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिसके सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद का प्रस्ताव दिनॉक 13.01.16 में शासन को भेजा जा चुका है। यह भी अवगत कराना है कि नवीन राजस्व संहिता 2006 के प्रख्यापन के बाद राजस्व निरीक्षक के कार्यों व दायित्वों में अत्याधिक वृद्धि हो गई है। राजस्व निरीक्षक के कार्यों में वृद्धि को देखते हुए वर्तमान में 10 लेखपालों पर 1 राजस्व निरीक्षक की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं रह गई है। वर्तमान स्थिति में 5 लेखपालों पर 1 राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिये।

महोदय, रजिस्ट्रार कानूनगो के 1082 एवं भूलेख लिपिक के 65 पद जो अब राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) कहे जायेंगे, पूर्व से सृजित हैं किन्तु वर्तमान में कार्यालय में कम्पयूटर, भूलेख अधिष्ठान, निर्वाचन का कार्य बढ गया है। अतः प्रत्येक तहसील में एक पद कम्पयूटर प्रभारी(खतौनी आदि के कार्य हेतु), एक पद भूलेख अधिष्ठान (लेखपालों के वेतन, पेंशन,जी0 पी0 एफ0/एन0 पी0 एस0 आदि कार्य हेतु) व एक पद निर्वाचन प्रभारी के लिए राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के प्रत्येक तहसील में 3 नये पद सृजित होने चाहिये तथा नव सृजित जनपदों एवं नव सृजित तहसीलों की आवश्यकता अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के नये पद भी सृजित किये जाये।

महोदय, संग्रह अमीन का मूल कार्य भूराजस्व एवं बकाया की वसूली करना है, जो भूलेख के कार्यों से भिन्न हैं। इस प्रकार इस संवर्ग से राजस्व निरीक्षक पदों पर प्रोन्नत होने वाले कर्मियों द्वारा राजस्व निरीक्षक से सम्बन्धित कार्य/दायित्वों का निर्वहन गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया जा सकता। जिससे शासन के कार्यों एवं जनता की

समस्याओं के समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वभाविक है। इसी प्रकार सीधी भर्ती के माध्यम से राजस्व निरीक्षक पद पर नियुक्त व्यक्तियों को 3 माह के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण से भूलेख सम्बन्धी ज्ञान एवं आम जन की समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक ज्ञान पूर्ण रूप से होना सम्भव नहीं है। प्रशिक्षण के उपरान्त भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कई वर्ष का समय लगना स्वभाविक है। जिससे सरकार द्वारा अधिक आर्थिक व्यय के बावजूद शासन एवं जनता को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पायेगा। लेखपाल संवर्ग में ही सीधी भर्ती की शर्तों के समान स्नातक शैक्षिक योग्यता, आयु व ज्ञान के कर्मचारी उपलब्ध हैं। जिन्हे भूलेख एवं राजस्व विभाग का ज्ञान एवं क्षेत्रिय समस्याओं के समाधान करने व लोक व्यवहार का व्यवहारिक ज्ञान अतिरिक्त रूप से है। जिनकी विभागीय परीक्षा के माध्यम से राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति करने से सरकार को कम अतिरिक्त आर्थिक व्यय के सापेक्ष उच्च गुणवत्ता के अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके सम्बन्ध में दिनॉक 27.10.2014 को मा0 मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में उ0 प्र0 लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ शासन की सहमति भी हो चुकी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि–

1. मा0 राजस्व परिषद के प्रस्ताव दिनॉक 13.01.2016 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय) के 590 पदों के सृजन का शासनादेश तत्काल निर्गत किया जाये तथा राजस्व निरीक्षकों के 5 लेखपालों पर 1 राजस्व निरीक्षक के अनुपात में पद सृजित किये जायें।
2. प्रत्येक तहसील में एक पद कम्पयूटर प्रभारी(खतौनी आदि के कार्य हेतु), एक पद भूलेख अधिष्ठान (लेखपालों के वेतन, पेंशन,जी0 पी0 एफ0/एन0 पी0 एस0 आदि कार्य हेतु) व एक पद निर्वाचन प्रभारी के लिए राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के प्रत्येक तहसील में 3 नये पद सृजित होने चाहिये तथा नव सृजित जनपदों एवं नव सृजित तहसीलों की आवश्यकता अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के नये पद भी सृजित किये जाये।
3. संग्रह अमीन का 18 प्रतिशत का राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति का कोटा समाप्त कर पूर्व की भॉति लेखपाल संवर्ग को आवंटित किया जाये।
4. राजस्व निरीक्षक के सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पद दिनॉक 27.10.2014 को मा0 मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासन की सहमति के अनुसार लेखपाल संवर्ग से विभागीय परीक्षा के द्वारा भरे जायें।
5. दिनॉक 20.01.2016 में निर्गत राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति की सूची में हुई त्रुटि को दूर करते हुए पूर्व से तैयार कोटि क्रम सूची में अंकित प्रशिक्षण वर्ष एवं प्रशिक्षण उपरान्त

नियुक्ति तिथि के अनुसार छुटे हुए पात्र लेखपालों सहित राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए प्रोन्नति सूची तत्काल निर्गत की जाये।

:—नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति—:

महोदय, रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान वर्ष 2010 के पूर्व राजस्व निरीक्षक के वेतनमान से कम था तथा भूलेख लिपिक का वेतनमान लेखपाल के वेतनमान के समान था। रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक की नियुक्ति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा इच्छुक लेखपालों में से की जाती थी। 1958 की नियमावली के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो की प्रोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नहीं होती थी बाद में 3 प्रतिशत फिर 9 प्रतिशत का कोटा नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया। भूलेख लिपिक की प्रोन्नति रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर होती थी और भूलेख लिपिक से सीधे नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं था। वेतन कम होने तथा नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान ना होने के कारण वरिष्ठ लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक के पदों पर प्रायः नहीं जाते थे। इन पदों पर अधिकांशतः कनिष्ठ लेखपालों का चयन जिला स्तर पर कर लिया जाता था। राजस्व निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु डी0 पी0 सी0 की बैठक लम्बे अन्तराल के कारण अधिकांश राजस्व निरीक्षक के पद रिक्त पडे रहे और रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक के पदों पर चयन जिला स्तर पर नियमित रूप से होता रहा। जिससे पदोन्नति के दिनॉक के आधार पर पूर्व से रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक के पदों पर जिला स्तर पर चयनित कनिष्ठ लेखपाल, वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के पदों पर पदोन्नत हुए वरिष्ठ लेखपालों से 17 जनवरी 2014 में प्रख्यापित राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली के अनुसार एकीकृत कोटिक्रम सूची में वरिष्ठ हो जायेंगे। जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख लिपिक के पदों पर वर्ष 2006 तक नियुक्त लेखपाल तैनात हैं और 20 जनवरी 2016 में निर्गत राजस्व निरीक्षक की प्रोन्नति की सूची में वर्ष 1975 से 1980 तक की नियुक्ति वाले लेखपाल प्रोन्नत हुए हैं।इसी वरिष्ठता के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए 17 फरवरी 2014 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिनस्थ कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (द्वितीय संशोधन)नियमावली 2014 में नायब तहसीलदार पर प्रोन्नति के 50 प्रतिशत पदों में से 41 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों से व 9 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो/ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो / भूलेख लिपिक से किये जाने का प्रावधान किया गया है और यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक की मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार

कानूनगो/ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो / भूलेख लिपिक की उपलब्धता समाप्त ना हो जाये।

महोदय, वरिष्ठता के सम्बन्ध में जो समस्या राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नत लेखपालों एवं रजिस्ट्रार कानूनगो/ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो / भूलेख लिपिक के पदों पर नियुक्त लेखपालों के मध्य उत्पन्न हुई है उसी प्रकार की समस्या राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नत लेखपालों तथा सीधी भर्ती से चयनित राजस्व निरीक्षकों के मध्य उत्पन्न होगी क्योंकि भविष्य में होने वाली डी0 पी0 सी0 में 40 वर्ष की लेखपाल पद पर सेवा वाला प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक, सीधी भर्ती 2015 से चयनित राजस्व निरीक्षक से कनिष्ठ हो जायेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो वर्ष बाद सीधी भर्ती 2015 से चयनित राजस्व निरीक्षक मात्र 2 वर्ष की सेवा पर नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हो जायेगा तथा 40 वर्ष की लेखपाल पद पर सेवा वाला प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार पदोन्नति का पद रिक्त होने से पूर्व ही सेवा निवृत हो जायेगा। इस प्रकार लेखपाल से प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक कभी नायब तहसीलदार नहीं बन पायेगा। इस समस्या के निदान हेतु सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों से नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति का कोटा समानुपातिक रूप से अलग अलग निर्धारित होना आवश्यक है।

अतः महोदय से निवेदन है कि–

1. नायब तहसीलदार पदोन्नति के पदों में 17 फरवरी 2014 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिनस्थ कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (द्वितीय संशोधन)नियमावली 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो/ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो / भूलेख लिपिक का 9 प्रतिशत कोटा आरक्षित रखते हुए , राजस्व निरीक्षक के 41 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 31 प्रतिशत लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नत राजस्वनिरीक्षक हेतु निर्धारित किया जाये।
2. नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती की अर्हता पूरी करने वाले लेखपालों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जायें।

महोदय, उत्तर प्रदेश अधिनस्थ कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाये।

6– पेंशन व्यवस्था

महोदय, नई पेंशन व्यवस्था वर्तमान स्वरूप में न तो कर्मचारी के लिए हितकारी है और न ही सरकार के लिए ही लाभकारी है। कर्मचारी को सेवा निवृति/मृत्यु के बाद

पेंशन की सुनिश्चित गारंटी नहीं है और सेवा निवृति/मृत्य उपरान्त देय अन्य लाभ से भी वंचित कर दिया गया है। सरकार द्वारा एन0 पी0 एस0 में 10 प्रतिशत धन सरकारी खजाने से जमा किया जा रहा है जिससे सरकार पर वर्तमान में आर्थिक भार पड रहा है किन्तु बाजार में होने वाले उतराव चढाव के कारण एन0 पी0 एस0 में कर्मचारी एवं सरकार की अंशदायी कटौती का सुनिश्चित लाभ मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था ही उत्तम विकल्प है। जब तक समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जाती है तब तक एन0 पी0 एस0 कटौती पर 10 प्रतिशत न्यूनतम रिटर्न की गारंटी प्रदान की जानी चाहिये।

महोदय, नई पेंशन व्यवस्था प्रभावी होने की तिथि 01 अप्रैल 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 एवं वर्ष 2003 में तत्समय प्रभावी लेखपाल सेवा नियमावली 1958 के अध्याय 14 के नियम 212 व 213 के अन्तर्गत नियमों एवं शर्तों के अधीन लेखपालों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर ततसमय उपलब्ध रिक्तयों पर भर्ती की कार्यवाही की गई। वर्ष 2000 की विज्ञप्ति के सापेक्ष अक्टूबर 2001 में अभ्यर्थियों का लेखपाल पद हेतु चयन कर लिया गया था, जिनके प्रशिक्षण हेतु परिषद आदेश 12178/4–14 बी/98 दिनॉक 3.12.2001 निर्गत किया गया था किन्तु तत्समय आरक्षण सम्बन्धी विवाद के कारण प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हो सका। पुनः शासन के पत्र 91 रिट/क–2/01 टी0सी0 दिनॉक 17.06.2002 के द्वारा उक्त भर्ती पर लगी रोक को समाप्त कर दिया गया और वर्ष 2003–2004 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराया गया जिसकी परिक्षा अगस्त 2004 में सम्पन्न हो चुकी थी किन्तु प्रशिक्षण परिक्षा का परिणाम विलम्ब से दिनॉक 30.05.2005 में घोषित किया गया। जिससे वर्ष 2001 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नई पेंशन व्यवस्था प्रभावी होने की तिथि 01 अप्रैल 2005 के बाद हो सकी और जनपद अधिकारियों द्वारा उनकी जी0 पी0 एफ0 कटौती न करके पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। जबकि वर्ष 2000 में ही प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर समूह ग के पदों पर हुई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2003 की विज्ञप्ति के सापेक्ष अक्टूबर 2004 में चयनित लेखपालों को भी जनपद अधिकारियों द्वारा उनकी जी0 पी0 एफ0 कटौती न करके पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। जबकि नई पेंशन व्यवस्था प्रभावी होने की तिथि 01 अप्रैल 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित लेखपाल विज्ञप्ति/चयन के समय प्रभावी लेखपाल सेवा नियमावली 1958 के परिशिष्ट 1 के नियम 30 के अनुसार तत्समय प्रभावी पुरानी पेंशन व्यवस्था हेतु पात्र हैं। इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में शासन द्वारा विशिष्ट बी0 टी0 सी0 2004 के सापेक्ष चयनित प्राथमिक शिक्षकों को जी0 पी0 एफ0 कटौती/ पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान कर दिया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था लागू होने की तिथि 01 अप्रैल 2005 से पूर्व लेखपाल पद पर चयनित लेखपालों को भी तत्काल जी0 पी0 एफ0 कटौती / पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाये।

महोदय, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ 32237 लेखपालों की पंजीकृत संस्था है। इस संघ का सदैव यह मत रहा है कि अपनी न्यायोचित मांगों को तर्कपूर्ण व शान्तिपूर्ण ढंग से शासन/परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये अपने कर्तव्यों को लगातार निभाते रहें । अन्य संघों की भॉति लेखपाल संघ कार्य बहिष्कार/हड़ताल/ आन्दोलन एवं दबाव की नीति पर विश्वास नहीं करता है जैसा कि कतिपय कर्मचारी संगठन आये दिन अपनी मांगों को मनवाने में इस प्रकार की नीति अपनाकर सफल हो रहे हैं। राजस्व लेखपाल विषम परिस्थितियों में भी चौबीस घंटे जनसामान्य के जीवन/जीविका से सम्बन्धित विभिन्न कार्य सम्पादित करने के बावजूद अपने वेतन/ प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य संवर्गों तथा अन्य प्रदेशों में लेखपाल /पटवारी संवर्ग की तुलना में काफी पिछड़ा एवं उपेक्षित महसूस कर रहा है। जिससे लेखपाल संवर्ग में कुंठा/निराशा एवं रोष की भावना उत्पन्न हो रही है। इससे कहीं न कहीं लेखपाल के द्वारा निष्पादित निजी एवं शासकीय कार्यों के परिणाम एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग की ए0सी0पी0 विसंगति दूर करने, प्रारम्भिक वेतनमान उच्चीकृत करने, शैक्षिक योग्यता स्नातक, पदनाम व नियुक्ति प्राधिकारी परिवर्तित करने, मण्ड़लीय स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने, प्रोन्नति के पद बढ़ाकर राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के पद लेखपाल संवर्ग से वरिष्ठता एवं विभागीय परीक्षा दोनों आधार पर भरने व पेंशन विसंगति दूर करने की उपरोक्त मॉगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तत्काल समाधान कराने की कृपा करें।

संस्था आपकी आभारी रहेगी।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री
उ0 प्र0 लेखपाल संघ

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 शासन।
2. मा0 प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक)महोदय, उ0 प्र0 शासन।
3. मा0 प्रमुख सचिव (वित्त) महोदय, उ0 प्र0 शासन।
4. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मा0 प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 लेखपाल संघ।
7. समस्त जिलाध्यक्ष / जिला सचिव / संयोजक साहबान, उ0 प्र0 लेखपाल संघ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री
उ0 प्र0 लेखपाल संघ